राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांकःप.8(ग)(35)नियम / डीएलबी / 2021 / 1714 दिनांकः 15/1/25

आदेश

टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किये जाने के संबंध में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय दूरसंचार अधिनियम–2023 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए भारतीय तार मार्ग के अधिनियम नियम– 2016 और भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम–2022 को अधिक्रमित करते हुए दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम– 2024, दिनांक 17.09.2024 को अधिसूचित किये गये है, जो कि दिनांक 01.01.2025 से प्रवृत होगे।

भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी नियमों के अधिक्रमण में नवीन दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम– 2024 दिनांक 01.01.2025 से लागू किये जा रहे है। जिसके दृष्टिगत विभाग में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापना से संबंधित प्रचलित आदेश दिनांक 01.01.2013, 23.02.2023 व 24.01.2023 व इन आदेशों में समय–समय पर किये गये संशोधनो को भी दिनांक 01.01.2025 से अधिक्रमित करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम–2024 के प्रावधानो को विभाग द्वारा तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कुमार पाल गौतम)
आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(35)नियम / डीएलबी / 2021 / 1715-2086 दिनांकः 15/1/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त एव शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त, समस्त राज0।
5. उपनिदेशक (क्षे.) स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान को पालनार्थ।
6. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी नगर निगम, नगरपरिषद, नगरपालिका समस्त राजस्थान को पालनार्थ ।
7. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Kumar Pal Gautam
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.01.1_ _4:26:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13008558